झारखण्ड सरकार
झारखण्ड ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन समिति
स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड
नामकुम, राँची।

फोन न0– 0651–2261000,2261856–2261002 मेल आई0डी0–nrhmjharkhand3@gmail.com

राँची, दिनांक : 17.02.21

पत्रांक : 9/RCH-214/2020- 527 (MD)

प्रेषक,

अभियान निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
नामकुम राँची, झारखण्ड।

सेवा में,

Mr. Sunil Kumar
Director,
M/S T & M Service Consulting Ltd.

विषयः राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, राँची झारखण्ड अंतर्गत विज्ञापन संख्या–06/2020/847–JRHMS के 847 विभिन्न पदों पर परीक्षा एवं नियुक्ति प्रक्रिया निरस्त करने के संबंध में।

प्रसंगः कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के संकल्प संख्या–821 दिनांकः 05.02.2021.

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के माध्यम से यह सूचित करना है कि विज्ञापन संख्या –06/2020/847–JRHMS के अंतर्गत 847 विभिन्न पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के संकल्प संख्या–821 दिनांकः 05.02.2021 में प्राप्त निर्देश के आलोक में निरस्त किया जाता है।

अतः निदेश दिया जाता है कि 21 फरवरी, 2021 को प्रस्तावित लिखित परीक्षा को तत्काल निरस्त करें।

सुलभ प्रसंग हेतु संकल्प संख्या–821 दिनांकः 05.02.2021 की प्रति पत्र के साथ संलग्न की जा रही है।

अनु0: यथोक्त।

विश्वासभाजन

(अभियान निदेशक)

ज्ञापांक : 527 (MD) दिनांक : 17.02.21

प्रतिलिपि :

1. सचिव, स्वा0, चि0 शि0 एवं प0 क0 विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।
2. उपायुक्त राँची, झारखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।
3. अपर अभियान निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, झारखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।
4. निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, झारखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।
5. प्रशासी पदाधिकारी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, झारखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।
6. जिला शिक्षा पदाधिकारी, राँची झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(अभियान निदेशक)

Scanned with CamScanner

821
05/02/2021

झारखण्ड सरकार
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

विषय : राज्य के गैर अनुसूचित जिलों के जिला स्तर के समूह 'ख' के अराजपत्रित तथा समूह 'ग' एवं समूह 'घ' के पदों पर नियुक्तियों में संबंधित जिले के स्थानीय निवासियों को एवं राज्यस्तरीय समूह 'ख' के अराजपत्रित तथा समूह 'ग' एवं समूह 'घ' के पदों पर नियुक्तियों में झारखण्ड राज्य के स्थानीय निवासियों को प्राथमिकता देने संबंधी संकल्प सं0–3854, दिनांक–01.06.2018 (संकल्प सं0–8468, दिनांक–20.11.2018 द्वारा यथासंशोधित) के आहरण के संबंध में।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के संकल्प सं0–3854, दिनांक–01.06.2018 द्वारा निम्नवत् प्रावधान किया गया है :–

"राज्य के 11 गैर अनुसूचित जिलों यथा पलामू, गढ़वा, हजारीबाग, रामगढ़, कोडरमा, चतरा, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह, देवघर एवं गोड्डा में जिला स्तर के वर्ग 3 एवं वर्ग 4 के पदों पर नियुक्ति हेतु, अगले 10 (दस) वर्षों तक, मात्र संबंधित जिले के स्थानीय निवासियों को ही पात्र माना जायेगा। साथ ही झारखण्ड राज्य में वर्ग 3 एवं वर्ग 4 के सभी राज्यस्तरीय पदों पर भविष्य में होने वाले नियुक्तियों हेतु मात्र झारखण्ड राज्य के स्थानीय निवासियों को ही पात्र माना जायेगा।"

2. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग संकल्प सं0–8468, दिनांक–20.11.2018 द्वारा विभागीय अधिसूचना सं0–5938, दिनांक–14.07.2016 एवं संकल्प सं0–3854, दिनांक–01.06.2018 में संशोधन करते हुए निम्नवत् प्रावधान किया गया:–

"राज्यहित में रिक्त सरकारी पदों पर नियुक्ति सुगमता पूर्वक सुनिश्चित करने हेतु राज्य सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया है कि विभागीय अधिसूचना सं0–5938, दिनांक–14.07.2016 एवं संकल्प सं0–3854, दिनांक–01.06.2018 में जहाँ कहीं भी "वर्ग 3 एवं वर्ग 4" अथवा "तृतीय श्रेणी एवं चतुर्थ श्रेणी" शब्द समूह का प्रयोग किया गया है उसे " 'समूह ख के अराजपत्रित तथा समूह ग' एवं 'समूह घ' " से प्रतिस्थापित किया जाय।"

3. WP(C) No.-1387/2017 सोनी कुमारी एवं अन्य बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य तथा संलग्न समरूप वादों में झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जिलों में संबंधित जिलों के स्थानीय निवासी के नियोजन से संबंधित कार्मिक विभागीय अधिसूचना सं0–5938, दिनांक–14.07.2016 एवं आदेश सं0–5939, दिनांक–14.07.2016 को निरस्त करने का अनुरोध माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड से किया गया। उक्त मामलों में दिनांक–21.09.2020 को माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय के वृहद् पीठ के द्वारा निम्नवत् न्यायादेश पारित किया:–

"57. For the reasons detailed above, both these Notification No. 5938 and Order No. 5939 dated 14.7.2016, as contained in Annexures-6 and 6/1 of the lead writ application are accordingly, quashed."

उल्लेखनीय है कि उक्त वाद में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा किसी जिला के शत–प्रतिशत पदों को उसी जिला के स्थानीय निवासियों के लिए आरक्षित करने के

Scanned with CamScanner

मामले में अभिव्यक्त विचार (Observation) विभागीय संकल्प सं0–3854, दिनांक–01.06.2018 पर भी सैद्धान्तिक तौर पर समान रूप से लागू होंगे।

4. माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय के उक्त न्यायादेश के आलोक में सम्यक् विचारोपरान्त राज्य सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया है कि:–

(क) राज्य के गैर अनुसूचित जिलों के जिला स्तर के समूह 'ख' अराजपत्रित, समूह 'ग' एवं समूह 'घ' पदों पर नियुक्तियों में संबंधित जिले के स्थानीय निवासियों को एवं राज्यस्तरीय समूह 'ख' अराजपत्रित, समूह 'ग' एवं समूह 'घ' के पदों पर नियुक्तियों में झारखण्ड राज्य के स्थानीय निवासियों को प्राथमिकता देने संबंधी कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग की संकल्प सं0–3854, दिनांक–01.06.2018 (संकल्प सं0–8468, दिनांक–20.11.2018 द्वारा यथासंशोधित) को तत्काल प्रभाव से आहरित किया जाता है।

(ख) इस संकल्प के निर्गत होने की तिथि से पूर्व समूह 'ख' अराजपत्रित, समूह 'ग' एवं समूह 'घ' के पदों पर नियुक्ति हेतु वैसी प्रतियोगिता परीक्षाओं से संबंधित सभी विज्ञापन, जो कार्मिक विभागीय संकल्प संख्या–3854, दिनांक–01.06.2018 (संकल्प सं0–8468, दिनांक–20.11.2018 द्वारा यथासंशोधित) से आच्छादित हैं तथा जिनमें अबतक नियुक्ति पत्र निर्गत नहीं किए गए हैं, उनमें नियुक्ति की प्रक्रिया अपूर्ण मानते हुए उन सभी विज्ञापनों को निरस्त किया जाता है। इन मामलों में अब नए सिरे से (ab-initio) विज्ञापन प्रकाशित करने की कार्रवाई की जाएगी।

आदेश : आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति झारखण्ड राजपत्र में जनसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(अजय कुमार सिंह)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–14/स्थानीयता नीति–14–04/2018 का०– 821 /रांची, दिनांक 05/02/2021

प्रतिलिपि :– महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, राँची/मुख्य सचिव, झारखण्ड/सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची/महानिबंधक, झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची/सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त/निःशक्तता आयुक्त, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि अपने अधीनस्थ अधिकारियों/राज्य के सभी लोक उपक्रमों/ निगमों/ निकायों/परिषदों/विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों/विद्यालयों को इस निर्णय से अवगत कराने की कृपा की जाय।

सरकार के प्रधान सचिव।

Scanned with CamScanner